परिशिष्ट - C

वन अधिकार अधिनियम 2006 - जिला स्तरीय गठित समिति जिला - सीकर

कार्यवाही बैठक दिनांक 5 मई - 2015

आज अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति जिला सीकर की बैठक जिला कलक्टर महोदय सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 05 मई 2015 को जिला कलक्टर सीकर में आयोजित की गई इसमे सदस्यगणो की उपस्थिति इस प्रकार रही।

सदस्य गणो की उपस्थिति - A.D.M. सीकर

1. उपवन संरक्षक, सीकर
2. (राजेन्द्र कुमार हुड्डा) जिला समाज कल्याण अधिकारी सीकर (सहायक निदेशक)
3. श्री मुकेश कुमार मीणा जिला परिषद सदस्य
4. श्रीमती वीना वर्मा " "
5. श्री मंवरलाल वर्मा " "
6. श्री प्रदीप मिश्रा एडवोकेट पार्षद न.प. सीकर
7. श्री सनाउद्दीन चौहान उर्फ पप्पु पहलवान " "
8. श्रीमती सुमित्रा देवी माऊका " " "
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर

बैठक में उपस्थित सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 व संशोधित नियम 2012 की पुस्तक व प्रतियां उपलब्ध कराई गई तत्पश्चात अधिनियम के नियमो व क्षेत्र तथा प्रभावित होने वाले समुदायों अनु० जनजातीयो आदि के आवास व उनके वन अधिकारों की मान्यता पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकाश डाला गया।

श्री अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर व उपवन संरक्षक सीकर द्वारा वन भूमि को गैर वन भूमि में प्रत्यावर्तन के नियमो व किस किस कार्य हेतु प्रत्यावर्तन किया जा सकता है का वर्णन किया गया मिटिंग में सदस्यो को मिटिंग का एजेन्डा उपलब्ध कराया गया आज की बैठक में निम्न प्रकरणों पर विचार विमर्श किया जाना प्रस्तावित हुआ -

क्र.सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	वनखण्ड का नाम
1	फतेहपुर बस स्टेन्ड हेतु निर्माण क्षेत्रफल 1.50 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन	1.50 हे0	फतेहपुर बीड़
2	132 KV बिजली लाईन की मेंटीनेंस सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर रतनगढ़ लाईन टावर फाउन्डेशन का स्ट्रेन्थिंग कार्य	1.92 हे0	बीड़ फतेहपुर हरसावा बड़ा बीड़ लक्ष्मणगढ़ देवास बीड़
3	N.H. 65 राजस्थान बोर्डर से फतेहपुर सालासर रोड सुदृढ़ीकरण व विस्तार कार्य	2.213 हे0	N.H. फतेहपुर दांतरू बीड़
4-	सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में देवीपुरा बीड़ की भूमि के 1.875 हे0 में प्रस्तावित सिवरेज उपचार संयन्त्र के निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन	1.875 हे0	देवीपुरा बीड़
5-	सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में नानी बीड़ की वन भूमि के 2.48 हे0 में प्रस्तावित सिवरेज संयन्त्र के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन	2.48 हे0	नानी बीड़
6-	नगर परिषद सीकर में सांवली रोड से औद्योगिक क्षेत्र सीकर तक लिंक रोड हेतु देवीपुरा बीड़ वन भूमि ख0न0 प्र0 में से 4.20 हे0 क्षेत्र वन भूमि का प्रत्यावर्तन	4.20 हे0	देवीपुरा बीड़

प्रस्ताव वार निम्न प्रकार विचार विमर्श किया गया

प्रस्ताव सं. 1- फतेहपुर बसस्टेन्ड निर्माण हेतु 1.50 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन - प्रस्तुत पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर व नगरपालिका फतेहपुर का प्रमाणपत्र शामिल है जिसमें प्रस्तावित भू-खण्ड में अधिनियम 2006 में वर्णित किसी अनुसूचित जनजाति का निवास नहीं होना उनके कोई मामले शिकायत आदि लम्बित या प्रस्तावित नहीं होना बताया है उपवन संरक्षक सांवली रोड सीकर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी शामिल है

प्रस्ताव पर सर्व सम्मती से विचार विमर्श कर वन भूमि को गैर वन कार्य फतेहपुर बसस्टेन्ड निर्माण हेतु प्रयुक्ती पर स्वीकृती दी गई।

ड का / पुर / हपुर / वाबड़ा / क्ष्मणगढ़ / बीड़ / फतेहपुर / बीड़ / त बीड़ / त बीड़ / ड़राबीड़ / भूमि / कारी / ामिल / में / ना / ावित / कर

प्रस्ताव सं. 2 - 132 KV बिजली लाईन की मैन्टीनेन्स सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर रतनगढ़ लाईन टावर फाउन्डेशन व स्ट्रेन्गनिंग कार्य हेतु 1.92 है० वनभूमि वन खण्ड बीड़ फतेहपुर हरसावा बड़ा बीड़ लक्ष्मणगढ़ का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव -

प्रस्ताव पर सर्व सम्मती से विचार विमर्श किया गया पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर का प्रमाणपत्र ख० न. 46/1 ग्राम बीड़ फतेहपुर में कोई भी अनुसूचित जनजाती या वन्य आदि विकास/परम्परागत प्रारंभिक कृषक व अन्य कोई वन निवासी निवास नहीं करते तथा वन अधिनियम 2006 में वर्णित दावों का कोई मामला लम्बित नही होने का व उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का भी इसी प्रकार का प्रमाण-पत्र खसरा नम्बरों की सारिणी सहित शामिल है। इसके अलावा नगरपालिका मण्डल लक्ष्मणगढ़ के अधिशाषी अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत गारिण्डा, ग्राम पंचायत कुमास जाटान का अनापत्ति प्रमाणपत्र विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना खसरा नम्बरो व मानचित्रों सहित प्रस्तुत हुई है। प्रस्तावित वनक्षेत्र में अनुसूचित जन जातियों या अन्य परम्परागत वन निवासियों या प्रारंभिक कृषको के न होने एवं अधिनियम में वर्णित कोई मामले लम्बित या प्रस्तावित न होने की दशा में वन भूमि क्षेत्र 1.92 के प्रत्यावर्तन हेतु सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया

प्रस्ताव सं. 3 - N.H. 65 राजस्थान बोर्डर से फतेहपुर सालासर रोड सुदृढीकरण व विस्तार कार्य हेतु देवास बीड़, N.H. फतेहपुर, दांतरू बीड में से 2.213 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। पत्रावली में ग्राम सभा ग्राम पंचायत दांतरू ग्राम सभा ग्राम पंचायत देवास, ग्राम सभा रोहलसाहबसर की मिटिंगो की कार्यवाहीयों की फोटोप्रतियां उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर का प्रमाणपत्र जिसमें वर्णित है कि वन अधिनियम 2006 में वर्णित किसी भी अनुसूचित जन जाती या समुदाय का कोई मामला लम्बित नही है। अतः सर्व सम्मती से वन भूमि 2.213 है० के प्रत्यावर्तन गैर वन भूमि सड़क कार्य हेतु स्वीकार किया गया

प्रस्ताव सं. 4 - सीकर नगरपरिषद क्षेत्र में देवीपुरा बीड की भूमि के 1.8 है० में प्रस्तावित सिवरेज उपचार संयत्र के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव सं.5 – सीकर नगर परिषद क्षेत्र में नानी बीड़ की वन भूमि के 2.48 हैं० में प्रस्तावित सिविरेज संयत्र के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन

प्रस्ताव सं. 6 – नगर परिषद सीकर में सांवली रोड से औद्योगिक क्षेत्र सीकर तक लिंक रोड हेतु देवीपुरा बीड़ वन भूमि क्षेत्रफल 910 में से 4.20 हैं० क्षेत्र वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 4 से 6 तक सभी एक ही युकाई नगर परिषद सीकर से सम्बन्धित होने के कारण सामूहिक कर विचार विमर्श किया गया। उपरोक्त प्रस्तावों की सभी पत्रावलियों में नगर परिषद सीकर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 05-03-2014 की कार्यवाही की फोटो प्रति उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04-05-2015 की फोटो प्रति परिशिष्ट के रूप में शामिल है जिनमें वर्णित है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में अधिनियम 2006 में वर्णित कोई भी अनुसूचित जन जाति या अन्य वन आजीविका पर आधारित कोई समुदाय या ऐसे प्रारंभिक कृषक जिनके हित इस प्रत्यावर्तन से प्रभावित होते हो निवास नही करते है व इनके कोई मामले लम्बित या प्रस्तावित नहीं है। उपवन संरक्षक सांवली रोड सीकर का अनापत्ती प्रमाण पत्र भी सभी पत्रावलियों में शामिल है। कार्य योजना व मानचित्र मय राजस्व रेकार्ड शामिल है। अतः अनुसूचित जन जातियों और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 के अनुरूप के कोई मामले लम्बित नही होने की दशा में प्रस्ताव सं. 4 से 6 तक की वन भूमि प्रत्यावर्तन गैर वन कार्य हेतु सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई

(L.N. SONI)
जिला कलक्टर, सीकर